राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 278/2024

संदीप कुमार —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव ,शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर।
4. खण्ड शिक्षा अधिकारी, बाडमेर।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.08.2024
आदेश की दिनांक : 30.08.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की पत्नी जोकि राजकीय सेवा में थी, की मृत्यु दिनांक 24.02.2024 को हो गयी है, अपीलार्थी के 6 माह का पुत्र एवं 7 वर्ष की एक पुत्री है। अपीलार्थी की माताजी बीमार रहती है तथा सम्पूर्ण परिवार को संभालने वाला अपीलार्थी के अलावा कोई भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी ने अपने गृह जिले में पदस्थापन हेतु एक अभ्यावेदन दिनांक 18.06.2024 (अनुलग्नक—6) अपने विभाग को प्रस्तुत किया था, परन्तु उस अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण का निर्देश दिया जावे।

हम यह पाते है कि प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 माह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी

को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 माह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)

NDG/-